न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
18/2024	111, 128 LRA	08.04.2024	27.05.2025

1.विद्यादेवी प्रजापत पत्नी नारायण प्रजापत जाति प्रजापत निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू
2. दडगी देवी पोकरराम जाति जाट निवासीनी जलालसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर
3. महावीरप्रसाद पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी जलालसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर
4. महावीरप्रसाद पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी जलालसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी जलालसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर

– अप्रार्थी–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह प्रार्थी
2 अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी अप्रार्थी संख्या 02 व 04
3 पैरोकार राज

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1.यह कि खेत व 1229/228 आरामी 1.4543 हेक्टेयर भूमि रोही घण्टेल चूरू प्रार्थिया के एकल खेतदारी या कब्जे काश्त की है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ पेश है।

2. यह है कि प्रार्थिया विद्या महिला खातेदार है जो शांतिपूर्वक अपने खातेदारी एवं राजस्व रिकॅर्ड में दर्ज कृषि भूमि का अपने हिस्से के अनुसार काश्त करती वा करवाती चली आ रही है जो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखती है।

3.यह है कि प्रार्थी के खेत के चिपते ही पूर्वी किनारे खेत खसरा नम्बर 1424/880 रोही ग्राम घण्टेल तहसील चूरू में स्थित है उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 2 से 5 काश्त करते तथा अप्रार्थी सं. 02 से 5 के सहखातेदारी [illegible] भूमि है प्रार्थी के खेत की पूर्वी सींव अंकन स्पष्ट नहीं है जिससे अप्रार्थीगण काश्त [illegible] सींव को काटकर अपने खेत की सीमा को बढा लेते है तथा काश्त के [illegible] के साथ अप्रार्थीगण तनाजा वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:58 IST
Reason: SelfAttested

AG

झगड़ा फसाद करते रहते है प्रार्थी द्वारा तहसीलदार चूरू के समक्ष भी सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पटवार हलक मौके पर गये तथा सीमांकन करना चाहा वा निशानदेही करनी चाहिए परन्तु अप्रार्थीगण का झगड़ालू स्वभाव होने से उन्होने उक्त निशानदेही मानने से इकार हो गया इस प्रकार से दोनो खेतो के मध्य पुख्ता सींव नहीं होने से सीमा को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि अपने खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पुख्ता सीमांकन करवाया जाकर पत्थर गढी करवायी जावें जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

4.यह कि प्रार्थीया के खेत मद सं. 01 में अंकित कृषि भूमि के पश्चिम तरफ भूमि ख.नं. 206 रोही घण्टेल जो की चिपती हुए सड़क स्थित है तथा दक्षिणी तरफ की भूमि पर कटानी रास्ता ख नं. 1425/227 रोही घण्टेल स्थित है इस प्रकार से प्रार्थीया की कृषि भूमि का विधिवत राजस्व कर्मचारियों को टिम गठित करवाई जाकर पुख्ता नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे जिससे भविष्य में प्रार्थी को पड़ोसीयों के मध्य विवाद ना हो। वा इस खेत की सीमाएं भी मौके पर स्पष्ट अंकन नहीं है इसलिए प्रार्थी का पड़ौसियों के साथ काश्त के समय मनमुटाव सीमा का लेकर बना रहता है चूंकि प्रार्थीया शांतिप्रिय महिला है जो विधिवत रूप से अपने खातेदारी की कृषि भूमि का नियमानुसार पत्थरगढी करवाकर सीमांकन करवाना चाहती है ताकि भविष्य में उक्त खेत के पड़ौसियां के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्तं आश्य का प्रार्थना पत्र अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है।

5.यह कि अप्रार्थी सं. 02 से 05 प्रार्थी के खेत के सीमा पड़ोसी है और भविष्य में सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी अप्रार्थ सं. 01 तहसीलाद साबह चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या संख्या 02 व 04 की ओर से अधिवक्ता धन्नाराम सैनी ने वाकलतनामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 03 की फौत होने पर तथा उसके वारिस पहले से ही रिकॉर्ड पर होने से उसके पहले फौत अंकित किया गया है। अप्रार्थी अधिकवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 03 फौत हो चुका है जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे जबकि इस सम्बन्ध में पूर्व में ही आदेश परित किया जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से अप्रार्थी को जवाब हेतु निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। व अप्रार्थी संख्या [illegible] तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से इनके [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओरे से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खसरा नम्बर 1229/228 पूर्व में विभाजन होने से पहले मूल खसरा सं. 228 का ही हिस्सा था। चूंकि वर्तमान में मौके पर ख.नं. 1229/228 के तारबंदी के अन्दर भूमि 1.4553 है. से कम है। जो कि वर्तमान में खसरो का विभाजन होने के बाद की स्थिति है।

प्रार्थी विद्यादेवी प्रजापत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, का उद्देश्य उसकी खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना है ताकि भविष्य में सीमा विवाद से बचा जा सके।

प्रार्थी के अनुसार वह खसरा संख्या 1229/228, क्षेत्रफल 1.4543 हेक्टेयर, रोही घण्टेल, तहसील चूरू की खातेदार है एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करती आ रही है। परंतु पूर्वी सीमा पर स्थित खेत (ख.सं. 1424/880) जो अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के कब्जे में है, से बार-बार सीमा विवाद उत्पन्न होता रहा है। सीमांकन का प्रयास तहसील स्तर पर विफल रहा क्योंकि अप्रार्थीगण ने निषानदेही में सहयोग नहीं किया।

पत्रावली के अवलोकन एवं अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन से जमाबंदी (संवत 2070 से 2073) की प्रमाणित प्रति, जिसमें खातेदारी अधिकारों का उल्लेख है। सीमाएं स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हैं, जिससे प्रार्थी व अप्रार्थियों के मध्य विवाद बना रहता है। पटवारी द्वारा सीमांकन का प्रयास किया गया लेकिन विरोध के कारण निषानदेही पूर्ण नहीं हो सकी। अप्रार्थी संख्या 03 के निधन की पुष्टि के उपरांत उसके वारिस रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अप्रार्थी 02 व 04 की ओर से वकील श्री धन्नाराम सैनी उपस्थित रहे, किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी 04 के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। मौके पर ख.स. 1229/228 (जिससे बाद में ख.स. 1229/220 का विभाजन हुआ) की भूमि तारबंदी के भीतर 1.4553 हेक्टेयर से कम पाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि सीमांकन की वर्तमान स्थिति विभाजन के बाद की है। भूमि का सटीक सीमांकन आवश्यक है। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्कों, बहस, दस्तावेजों एवं राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि सीमांकन पूर्व में आंशिक रूप से किया गया, परंतु पत्थरगढी नहीं कराई गई, जिससे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। सीमावर्ती खेतों के खातेदारों से सीमा विवाद की संभावनाएं प्रकट हुई हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111,128 में यह प्रावधान है कि जब खातेदार के खेत की सीमा विवादित हो या सीमा स्पष्ट न हो तो सीमांकन करवाने का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में वादकर्ता की भूमि एवं सीमा[illegible] के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे समय-समय पर विवाद की स्थिति [illegible] न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादकर्ता की भूमि का सीमांकन करवाकर [illegible] करवाई जाए। वैसे भी इस प्रकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.स. 1229/228 तादादी 1.4543 हैक्टेयर रोही घण्टेल तहसील व जिला चूरू का पटवारी के सीमांकन दिनांक 07.06.2024 के अनुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए। इस हेतु राजस्व की एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार / नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार पटवारी के सीमांकन दिनांक 07.06.2024 पत्थरगढ़ी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

AG,
(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:58 IST
Reason: SelfAttested